



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017/ 4.52

दिनांक : 5/2/18

प्रति,

प्राचार्य,  
हेलियोज महाविद्यालय,  
सी-06 / 14, महॉकाल वाणिज्य केन्द्र,  
उज्जैन(म.प्र.)।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक / 124; दिनांक 19.05.2017


उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि, हेलियोज महाविद्यालय, उज्जैन में सत्र 2017-18 से बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम.(प्लेन/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन), बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी), पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार इंगित की गई कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर उपरोक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम.(प्लेन/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन), बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी), पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.बी.ए.	60
02.	बी.सी.ए.	30
03.	बी.कॉम.(प्लेन/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)	40
04.	बी.एससी.(कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी)	40

- शर्तें :-**
01. पुस्तकालय में आवेदित पाठ्यक्रमानुसार 100 पुस्तकें मंगवाई जाये।
  02. एस.टी.एससी. छात्रों को देने हेतु बुक बैंक बनावाया जाये।
  03. लायसेन्स साफ्टवेयर्स मंगवा कर कम्प्यूटर्स में अपलोड करें।
  04. परिनियम क्रमांक 28 में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र करें।
  02. पुस्तकालय में 2043 पुस्तकें दर्शायी गई है। प्रथम वर्ष की पुस्तकें आना शेष है, शीघ्र ही मंगवाई जाये। उपरोक्त एवं पूर्व कमेटी की दर्शाई गई कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

निरंतर...02